Hindi Update on Job Work Return (ITC-04)

GST के अंतर्गत जॉब वर्क क्या है?

CGST अधिनियम 2017 की धारा 2(68) मे जॉब वर्क को किसी अन्य registered व्यक्ति की वस्तु ओपर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस के रूप मे define किया गया है । जो व्यक्ति उस कार्य को करता है उसे जॉब वर्कर कहा जाता है । वस्तु का मालिकाना हक जॉब वर्कर को नहीं मिलता है परंतु उस वस्तु पर प्रिंसिपल का ही अधिकार रहता है। जॉब वर्कर का काम उस वस्तु पर उसकी प्रिंसिपल द्वारा निर्धारित प्रोसेस करना है । प्रोसेस करने के बाद जॉब वर्कर माल को वापस प्रिंसिपल को भेज देता है अथवा प्रिंसिपल के कहने पर goods को कहीं और भी भेज सकता है।

प्रिंसिपल द्वारा अपना माल को बाहर जॉब के लिए भेजने पर जॉब चालान के द्वारा अपने स्थान से जॉब वर्कर के स्थान तक भेजा जाता है, इसके साथ ही प्रिंसिपल को Quarterly statement GST ITC-04 रिटर्न जो की CGST अधिनियम की धारा 143 के अनुसार फ़ाइल करना होती है ।

यह रिटर्न तिमाही फ़ाइल करना पड़ता है जिसकी फ़ाइल करने की तारीख हर तिमाही ख़तम होने पर next month की 25 तारीख होतीहै ।

सरकार द्वारा पहले भी जॉब वर्क के रिटर्न्स (ITC-4), जो की Financial year 2017-18 के थे, को फ़ाइल नही कर ने की छूट प्रदान कर दी गयी है। इसके साथ ही Covid -19 की महामारी को ध्यान मे रखते हुए एक हाल ही मे सर्कुलर No. 138/08/2020-GST दिनांक 06 मई 2020 जारी किया है जिसमे GST ITC-4 पीरियड जनवरी से मार्च तक तिमाही के लिए रिटर्न की दिनांक जो की 25 अप्रैल 2020 थी उसको बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गयी है । यह बताया गया है कि Section 168A मैं प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी नोटिफिकेशन

35/2020 के अंतर्गत जॉबवर्क रिटर्न ITC-04 भी आएगा तथा इसको file करने की तारीख भी 30 जून 2020 तक हो जाएगी।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.